SPEED POST

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Commission set up under Art. 338A of the Constitution of India)

File No. SST/8/2017/MFIN9/SEHRMT/RU-IV Dated: 29.11.2017

To,

The Chairman,
Uttar Bihar Gramin Bank,
Kalmbagh Chowk,
Muzaffarpur – 842 001
(Bihar).

2. The Regional Manager,
Uttar Bihar Gramin Bank,
Regional Office- Chhapra
(Bihar).

Sub: Proceedings of the sitting taken by Hon'ble Vice-Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 10.11.2017 at 03.00 P.M in the matter of Smt. Shanti Seema Toppo, (employee of Uttar Bihar Gramin Bank) Mehrauli, New Delhi regarding harassment by Uttar Bihar Gramin Bank.

Sir,

I am directed to enclose a copy of the Proceedings of the Sitting held under the Chairmanship of Hon'ble Vice-Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes on 10.11.2017 on the above mentioned subject for necessary action.

It is requested that action taken report in the matter may please be intimated to the Commission, at an early date.

Yours faithfully,

D.S. Kumbhare 29.11.2017

(D.S. Kumbhare)
Under Secretary
Ph. No. 24657271

Copy to:-

Smt. Shanti Seema Topno,
85/4, Ward No.4,
Ashiyana Apartment,
Flat No. 401, Mehrauli,
New Delhi – 110 030.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- SST/8/2017/MFIN9/SEHRMT/RU-IV)

श्रीमती शांति सीमा टोपनो, 85/4, वार्ड नंबर 4, आशियाना अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 401, महरौली, नई दिल्ली द्वारा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के प्रति अपने कर्मचारी के कर्तव्यपालन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उपेक्षा करने के मामले मे आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 10.11.2017 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत.

बैठक की तिथि : 10.11.2017

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'

---

1. श्रीमती शांति सीमा टोपनो, ने उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के प्रति अपने कर्मचारी के कर्तव्यपालन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उपेक्षा करने के मामले मे दिनांक 06.07.2017 को आयोग मे अभ्यावेदन दिया। इसमे उन्होने उल्लेख किया कि अभ्यावेदक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मे कर्मचारी हैं तथा उनके पति श्री क्लेमेंट टोपो भी इसी बैंक मे क्लर्क सह कैशियर के पद पर कार्यरत हैं। दिनांक 14.10.2005 को उनके पति श्री क्लेमेंट टोपो बैंक के कार्य से बैंक की नकद राशि लेकर छपरा, बिहार शाखा से सोन्हों शाखा मे ले जा रहे थे। इस दौरान कुछ लुटेरों ने श्री क्लेमेंट टोपो को गोली मार कर सारे पैसे लूट लिए। इस दुर्घटना मे वे बुरी तरह घायल हो गए। घटना के बाद उन्हे इलाज के लिए दिल्ली लाया गया और चूंकि वे अत्यंत गंभीर हालत मे थे इस वजह से अभ्यावेदक को उनकी देखभाल के लिए साथ आकार दिल्ली रहना पड़ा। इस बीच बैंक ने अभ्यावेदक को सैलरी नही दी तथा उनके पति श्री क्लेमेंट टोपो का इंक्रीमेंट भी रोक दिया। अभ्यावेदक ने एक अटेंडेंट प्रदान करने के लिए बैंक प्रशासन को लिखा और साथ ही आयोग को भी शिकायत दी।
2. आयोग ने इस मामले मे अध्यक्ष, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को दिनांक 09.08.2017 को एक नोटिस भेज कर जानकारी मांगी। अभ्यावेदक द्वारा आयोग को भेजी शिकायत को संज्ञान मे लेते हुये महाप्रबंधक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ने आयोग के नोटिस भेजे जाने के पूर्व दिनांक 25.07.2017 को पत्र प्रेषित कर आयोग को मामले से अवगत कराया। पुनः आयोग के नोटिस के पश्चात प्रत्युत्तर मे महाप्रबंधक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ने दिनांक

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

18.08.2017 को पत्र प्रेषित कर पूर्व के पत्र का संज्ञान दिलाया। महाप्रबंधक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के पत्र मे उल्लेख किया गया कि श्रीमती शांति सीमा टोपनो बैंक की अनुमति के बिना छुट्टी पर हैं। अभ्यावेदक श्रीमती शांति सीमा टोपनो और उनके पति श्री क्लेमेंट टोपो द्वारा बिना अनुमति के छुट्टी पर जाने के खिलाफ दिनांक 20.12.2012 को चार्जशीट जारी किया गया और जांच के पश्चात उन्हे बैंक सेवा से मुक्त कर दिया गया। इस निर्णय के खिलाफ उन्होने अपीलीय प्राधिकरण मे अपील की। इससे उन्हे राहत मिली और दिनांक 09.07.2013 के आदेश से उनकी सेवा बरकरार कर दी गई। इसके अलावा दोनों को पूरा वेतन और मेडिकल खर्च बैंक वहन कर रहा है। साथ ही श्रीमती शांति सीमा टोपनो दिनांक 14.10.2005 से लगातार बिना अनुमति छुट्टी पर हैं। इस वजह से उनका वेतन मई 2006 से रोक रखा गया है। उन्हे कई बार योगदान देने को कहा गया किन्तु उन्होने बैंक मे अपना योगदान नही दिया।

3. महाप्रबंधक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के जवाब से अभ्यावेदक को दिनांक 21.08.2017 को अवगत कराया गया। इसके प्रत्युत्तर मे अभ्यावेदक ने दिनांक 06.10.2017 को दुबारा आवेदन देकर न्याय के लिए आयोग से निवेदन किया। आयोग ने दिनांक 30.10.2017 को नोटिस जारी कर अध्यक्ष, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को मामले मे बैठक के लिए दिनांक 10.11.2017 को आयोग मे बुलाया।
4. बैठक मे चर्चा के लिए श्री पंकज कुमार ठाकुर, क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक उपस्थित हुए।
5. आयोग ने अभ्यावेदक से अपनी समस्या स्पष्ट करने हेतु कहा जिस पर श्रीमती शांति सीमा टोपनो, ने उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के प्रति अपने कर्मचारी के कर्तव्यपालन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होने कहा बैंक ने अभ्यावेदक को सैलरी नही दी है तथा उनके पति श्री क्लेमेंट टोपो का इंक्रीमेंट भी रोक दिया है। अभ्यावेदक ने यह भी बताया कि चूंकि उनके पति गंभीर रूप से घायल है और समुचित इलाज दिल्ली मे ही संभव है। इसलिए उनकी देखभाल के लिए अभ्यावेदक को साथ रहना पड़ता है। यही कारण है कि वे बैंक मे सेवा नही दे पा रही है। या तो बैंक एक अटेंडेंट प्रदान करे या उन्हे इस कार्य के लिए स्वीकार कर लिया जाय।
6. आयोग ने क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से मामले मे बैंक का पक्ष जानना चाहा। इस पर क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ने आयोग को अवगत कराया कि चूंकि बिना पूर्व स्वीकृति के अभ्यावेदक बैंक सेवा से 14.10.2005 से लगातार अनुपस्थित हैं। इस वजह से इनका वेतन जारी नही किया जा रहा है। अटेंडेंट प्रदान करने के मामले मे उन्होने यह भी बताया कि बैंक के पास इस तरह का कोई प्रावधान नही है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

7. आयोग ने मामले के सभी पहलुओ और पक्षों की जांच करने के पश्चात यह पाया कि चूंकि अभ्यावेदक श्रीमती शांति सीमा टोपनो के पति श्री क्लेमेंट टोपो बैंक सेवा कार्य के दौरान घायल हुये हैं और जब मेडिकल बोर्ड ऐसी अनुशंसा कर रहा है कि उन्हे एक अटेंडेंट की जरूरत है तो यह उचित प्रतीत होता है। साथ ही घायल व्यक्ति के लिए अटेंडेंट सुविधा मेडिकल खर्च मे ही वहन किया जाना चाहिए। अतः आयोग की यह अनुशंसा है कि बैंक मानवीय आधार पर इस मामले को देखे। अभ्यावेदक श्रीमती शांति सीमा टोपनो के पति श्री क्लेमेंट टोपो का 3 इंक्रीमेंट तत्काल प्रदान करे। बैंक नियमानुसार सभी मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति करे जिसमे अटेंडेंट का खर्च भी शामिल होगा। साथ ही साथ बैंक यह मान कर कि अभ्यावेदक श्रीमती शांति सीमा टोपनो अब तक अपने श्री क्लेमेंट टोपो के लिए अटेंडेंट की भूमिका का निर्वहन कर रही थी, अतः उनकी बैंक मे सेवा बरकरार रखी जाय और उन्हे नियुक्त किया जाय। आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि बैंक द्वारा इस मामले मे की गई कार्यवाही की रिपोर्ट एक माह के अंदर आयोग को भिजवाई जाय।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट - क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- SST/8/2017/MFIN9/SEHRMT/RU-IV)

श्रीमती शांति सीमा टोपनो, 85/4, वार्ड नंबर 4, आशियाना अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 401, महरौली, नई दिल्ली द्वारा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के प्रति अपने कर्मचारी के कर्तव्यपालन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उपेक्षा करने के मामले मे आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 10.11.2017 को आयोग में आयोजित सीटिंग मे उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया ऊइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री डी.एस. कुंभारे, अवर सचिव
3. श्री आर. के. दुबे, सहायक निदेशक
4. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव
5. श्री आर. एस. मिश्रा, वरिष्ठ अन्वेषक

उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के अधिकारी

1. श्री पंकज कुमार ठाकुर, क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक

अभ्यावेदक

1. श्रीमती शांति सीमा टोपनो